मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :— श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

सतवीर s/o रणसिंह जाति जाट निवासी निनाण बनाम 1. रणसिंह पुत्र हंसराम 2. शकुंतला 3. राजोदेवी 4. सरोज 5. भतेरी 6 सरिता 7 राजकला 8. राजबाला (पुत्रिया रणसिंह जाति जाट निवासी निनाण) 9. तहसीलदार भादरा। 10. SBI ढानीबड़ी

दावा बाबत :— 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :— 132/2021

निर्णय दिनांक :— 30/11/2021

वादी की ओर से वकील पवन सिहाग की व प्रतिवादी सं० 1 ता 8 की ओर से वकील रामचन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30/11/21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा चक 9 JGW के खाता संख्या 83/84 के मु० न. 13 के किला न. 16 ता 18, 22 ता 25 मु. न. 34 के किला न. 3 ता 5 इस प्रकार कुल किता 10 की 2.530 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खाला प्रतिवादी रणसिंह के नाम दर्ज है। इसी प्रकार चक 6 JGW के खाता संख्या 101/94 के मु. न. 55 के किला न. 23, 24 कुल किता 2 की कुल 0.506 है० नहरी प्रतिवादी रणसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी रणसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी सतवीर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क कर शून्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा हो। यदि वाद भूमि बैंक के रहन हो तो रहन मुक्त होने पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़